महत्वपूर्ण/मा0 सर्वोच्च न्यायालय निर्देश

संख्या:3/2015/17एम(4)/35-आ0-1/2009-12टी0सी0-1

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग-1 (नियोजन विभाग) **लखनऊ:दिनांक:31 मार्च, 2015**

द्वितीय तल, योजना भवन

विषय: **रिट पिटीशन (सी) सं0 494/2012-जस्टिस के0एस0 पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (कोर्ट 6, आइटम 301)**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक महा-सांलिसिटर भारत के पत्र दिनांक 16-03-2015 (प्रतिलिपि संलग्न) जो प्रश्नगत याचिका में आधार निर्गमन की वैधता से सम्बन्धित दिनांक 16-03-2015 को सुनवाई के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 23-09-2013 के पारित आदेश का समस्त अॅथारिटी द्वारा अनुपालन के दिये गये निर्देश से सम्बन्धित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आदेश का क्रियात्मक अंश अधोवत् है:-

> "In the meanwhile, no person should suffer for not getting the Adhaar card inspite of the fact that some authority had issued a circular making it mandatory and when any person applies to get the Adhaar card voluntarily, it may be checked whether that person is entitled for it under the law and it should not be given to any illegal immigrant."

इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहनें का निदेश हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23-09-2013 का कड़ाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in